DEVABN-DPRO0SBMG/54/2025-DPRO-ABN

I/569416/2025

अनुस्मारक–2

कार्यालय–मुख्य विकास अधिकारी,अम्बेडकरनगर।

पत्रांक– 4031/पं0/लेखा/स्व0भा0मि0ग्रा0/एफ0एस0एम0/2025–26 दिनांक– 14/11/2025

1. समस्त, उपजिलाधिकारी
2. समस्त, खण्ड विकास अधिकारी
3. समस्त,सहायक विकास अधिकारी(पं0)

जनपद–अम्बेडकरनगर।

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।**

जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या–1625 दिनांक–08.07.2025 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या–3594 दिनांक 24.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मिशन निदेशक स्व0भा0मि0ग्रा0 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या–5/555/2025–26/02/2022 दिनांक–18.06.2025 के कम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना–2025–26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना कराये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक आप लोगों के स्तर से किसी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेंट इकाई की स्थापना हेतु उपरोक्त पत्र में बिन्दुवार दी गयी व्यवस्था/निर्देशों के अनुसार अपने–अपने विकास खण्ड़ की किसी एक ग्राम पंचायत से उपयुक्त स्थल/भूमि का चिन्हांकन करते हुए ग्राम भूमि प्रबन्धन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त अभिलेखों **(खसरा, खतौनी, भूमि प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव, स्थल का नजरी नक्शा, लेखपाल की संस्तुति)** सहित प्रस्ताव प्रत्येक दशा में **एक सप्ताह में** जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन स्तर से धनराशि की मांग की कार्यवाही अग्रसारित की जा सके।

Digitally signed by
ANAND KUMAR SHUKLA
Date: 13-11-2025
10:33:16

(अनिल कुमार शुक्ला)
मुख्य विकास अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर।
3. उप निदेशक(पं0), अयोध्या मण्डल अयोध्या।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ समस्त विकास खण्ड़ों से प्रस्ताव प्राप्त कर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

मुख्य विकास अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

अनुस्मारक–1

कार्यालय–जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक– 3594 / पं0 / लेखा / स्व0भा0मि0ग्रा0 / एफ0एस0एम0 / 2025–26 दिनांक– 24/10/2025

1. **समस्त, उपजिलाधिकारी**
2. **समस्त, खण्ड विकास अधिकारी**
3. **समस्त,सहायक विकास अधिकारी(पं0)**

जनपद–अम्बेडकरनगर।

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।**

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या–1625 दिनांक–08.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मिशन निदेशक स्व0भा0मि0ग्रा0 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या–5/555/2025–26/02/2022 दिनांक–18.06.2025 के क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना–2025–26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई को स्थापना कराये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक आप लोगों के स्तर से किसी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेंट इकाई की स्थापना हेतु उपरोक्त पत्र में बिन्दुवार दी गयी व्यवस्था/निर्देशों के अनुसार अपने–अपने विकास खण्ड़ की किसी एक ग्राम पंचायत से उपयुक्त स्थल/ भूमि का चिन्हांकन करते हुए ग्राम भूमि प्रबन्धन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त अभिलेखों **(खसरा, खतौनी, भूमि प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव, स्थल का नजरी नक्शा, लेखपाल की संस्तुति)** सहित प्रस्ताव प्रत्येक दशा में **एक सप्ताह में** जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन स्तर से धनराशि की मांग की कार्यवाही अग्रसारित की जा सके।

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3. उप निदेशक(पं0), अयोध्या मण्डल अयोध्या।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ समस्त विकास खण्ड़ों से प्रस्ताव प्राप्त कर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 16-10-2025
15:21:03

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय–जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक– 1625 / प0 / लेखा / स्व0भा0मि0ग्रा0 / एफ0एस0एम0 / 2025–26 दिनांक– 08/07/2025

1. समस्त, खण्ड विकास अधिकारी
2. समस्त,सहायक विकास अधिकारी(पं0)

जनपद–अम्बेडकरनगर।

विषय:– **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।**

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक स्व0भा0मि0ग्रा0 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र सख्या–5 / 555 / 2025–26 / 02 / 2022 दिनाक–18.06.2025 (छायाप्रति सलग्न) ग्रहण करे, जिसके द्वारा पेयजल एव स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–एस–18 / 7 / 2025–SBM –III–DDWS दिनांक 20 मार्च 2025 के क्रम मे अवगत कराया गया है, कि दिनांक–10 मार्च 2025 को भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक मे प्रदत्त निर्देशों के अनुपालनार्थ FSM हेतु योजना बनाया जाना एवं लागू किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना–2025–26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु 150 इकाई स्वीकृत है, जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार प्रति जनपद 02 इकाई का निर्माण कराया जाना है। ऐसे जनपद जहा नगर विकास विभाग द्वारा एफ0एस0टी0पी0 / एस0टी0पी0, को–ट्रीटमेन्ट इकाई की स्थापना नही है, ऐसे जनपदों मे प्राथमिकता के आधार पर इकाई का निर्माण कराया जायेगा।

वार्षिक कार्ययोजनानुसार फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु जनपद मे कम से कम 02 स्थल चिन्हित किये जाने आवश्यक हैं। FSTP निर्माण मे स्थल का चयन एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रकिया में निम्नलिखित बिन्दुओं का सज्ञान लिया जाना आवश्यक है–

1. **पर्याप्त भूमि उपलब्धता।**
   - ✓ FSTP की क्षमता के अनुरुप भूमि की उपलब्धता।
   - ✓ सामान्यत 6–10 KLD FSTP के लिए प्रति इकाई लगभग 1 एकड भूमि की आवश्यकता।
   - ✓ जनपद में ऐसी स्थल / भूमि का चयन किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विकास खण्डो के ग्रामो को आच्छादित किया जा सके, जिनकी प्रस्तावित FSTP से अधिकतम दूरी 15 Km एव पहुच मार्ग सुगम हो।
2. **भू–जल स्तर एवं भूमि का प्रकार।**
   - ✓ जलभराव रहित, समतल और ठोस भूमि होनी चाहिए।
   - ✓ भूमि ऐसी हो जहाँ भूजल स्तर अधिक ऊँचा न हो ताकि प्रदूषण की सभावना से बचा जा सके।
3. **लोकेशन (लोकेशन)।**
   - ✓ नगरीय या ग्रामीण आबादी से न्यूनतम 250–500 मीटर की दूरी।
   - ✓ रिहायशी क्षेत्र से पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी है ताकि दुर्गंध, शोर या संक्रमण की समस्या न हो।
4. **पहुँच मार्ग** (Accessibility)।
   - ✓ स्थल तक टैंकर्स की आवागमन के लिए उपयुक्त सडक मार्ग हो।
   - ✓ पूरे वर्ष सडक सुगम और उपयोग में रहने योग्य हो।
5. **जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन।**
   - ✓ उचित जल निकासी (drainage) की व्यवस्था।
   - ✓ वर्षा जल के निकास की समुचित व्यवस्था।
6. **पर्यावरणीय स्वीकृति और नियम।**
   - ✓ भूमि पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबंध न हो (जैसे–वन क्षेत्र, जलाशय, नदी तट आदि)।
   - ✓ राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से अनुमोदन के अनुरुप।
   - ✓ स्थानीय समुदाय की सहमति।
   - ✓ भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत / नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक।
   - ✓ सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
   - ✓ आबादी से दूरी, जलभराव कि स्थिति, जलाशय से निश्चित दूरी आदि (According to SWM Rule 2016) का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
7. **भूमि का स्वामित्व।**
   - ✓ सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दे, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो
   - ✓ यदि निजी भूमि ली जाए, तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।

8. **निकटवर्ती संसाधनो की उपलब्धता।**
   - ✓ बिजली, पानी, और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हो।
   - ✓ प्लाट के सचालन मे 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलो ली0 से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिये चयनित की जाने वाली भूमि, बिजली एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
   - ✓ भूमि के चयन मे कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतो मे सेप्टिक टैंक अधिक संख्या मे है) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (कम से कम 3000 सेप्टिक टैंक)
   - ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या वर्मी कम्पोस्ट इकाई से निकटता लाभकारी हो सकती है।
9. **भविष्य में विस्तार की संभावना।**
   - ✓ भविष्य मे बढती आवश्यकता के अनुसार प्लाट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।
10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफ0एस0टी0पी0/एस0टी0पी0, को–ट्रीटमेन्ट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हाकन किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त के क्रम मे आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत फिकल स्लज मैनेजमेंट इकाई की स्थापना हेतु उपरोक्त बिन्दुवार दी गयी व्यवस्था/निर्देशो के अनुसार अपने–अपने विकास खण्ड की किसी एक ग्राम पंचायत से उपयुक्त स्थल/ भूमि का चिन्हांकन करते हुए ग्राम भूमि प्रबन्धन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त अभिलेखों **(खसरा, खतौनी, भूमि प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव, स्थल का नजरी नक्शा, लेखपाल की संस्तुति)** सहित प्रस्ताव प्रत्येक दशा में **एक सप्ताह** मे जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि शासन स्तर से धनराशि की माग की कार्यवाही अग्रसारित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 05-07-2025
19:24:27

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक /दिनाक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नांकित की सेवा मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3. समस्त, उप जिलाधिकारी जनपद अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ कि प्रस्तावित भूमि की पैमाइस कराकर खसरा खतौनी की नकल खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायें।
4. उप निदेशक(प0), अयोध्या मण्डल अयोध्या।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ समस्त विकास खण्डो से प्रस्ताव प्राप्त कर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

/
जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

8. **निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता।**
   - ✓ बिजली, पानी, और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हो।
   - ✓ प्लाट के संचालन मे 30 किलोवाट से अधिक बिजली एव 05 किलो ली0 से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिये चयनित की जाने वाली भूमि, बिजली एव जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
   - ✓ भूमि के चयन मे कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतो मे सेप्टिक टैंक अधिक संख्या मे हैं) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (कम से कम 3000 सेप्टिक टैंक)
   - ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या वर्मी कम्पोस्ट इकाई से निकटता लाभकारी हो सकती है।
9. **भविष्य में विस्तार की संभावना।**
   - ✓ भविष्य मे बढती आवश्यकता के अनुसार प्लाट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।
10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफ0एस0टी0पी0/एस0टी0पी0, को–ट्रीटमेन्ट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हाकन किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त के क्रम मे आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत फिकल स्लज मैनेजमेट इकाई की स्थापना हेतु उपरोक्त बिन्दुवार दी गयी व्यवस्था/निर्देशो के अनुसार अपने–अपने विकास खण्ड की किसी एक ग्राम पचायत से उपयुक्त स्थल/ भूमि का चिन्हांकन करते हुए ग्राम भूमि प्रबन्धन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर समस्त अभिलेखो **(खसरा, खतौनी, भूमि प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव, स्थल का नजरी नक्शा, लेखपाल की संस्तुति)** सहित प्रस्ताव प्रत्येक दशा में **एक सप्ताह में** जिला पंचायतराज अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि शासन स्तर से धनराशि की माग की कार्यवाही अग्रसारित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक 1625 /दिनाक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नाकित की सेवा मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
3. समस्त, उप जिलाधिकारी जनपद अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ कि प्रस्तावित भूमि की पैमाइस कराकर खसरा खतौनी की नकल खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायें।
4. उप निदेशक(पं0), अयोध्या मण्डल अयोध्या।
5. जिला पचायत राज अधिकारी अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ समस्त विकास खण्डो से प्रस्ताव प्राप्त कर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 05-07-2025
19:23:47

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।